भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

RBE No. 30/2002.

E(P&A)II/2001/HRA-6 New Delhi dated- 4-3-2002.

General Managers/OSDs/CAOs,
Indian Railways & Prod.Units etc,
per mailing lists No.I & II).

Subject :- Drawal of House Rent Allowance by husband and wife when both of them happen to be Railway/Government servants and are residing in the allotted Railway/Government accommodation.

*****

In terms of Rule 1706(a)(i) of the Indian Railway Establishment Code Vol.II/1987 edition, House Rent Allowance shall not be granted to a Railway employee if: -

a) he/she does not incur any expenditure on rent for his/her accommodation;
b) he/she occupies accommodation provided by the Government;
c) he/she shares Government accommodation allotted rent free to another Government servant;
d) he/she resides in accommodation allotted to his/her parents/son/ daughter by the Central Government/State Government, an autonomous public undertaking or Semi-Government organisation such as a Municipality, Port Trust, Nationalised Banks, Life Insurance Corporation of India etc. and
e) his wife/her husband has been allotted accommodation at the same station by the Central Government/State Government, an autonomous public undertaking or semi-Government organisation such as municipality, Port Trust etc. whether he/she resides in that accommodation or he/she resides separately in accommodation rented by him/her.

2. It has been brought to Board's notice that there are some incidences on the zonal Railways etc., where spouse of the Railway employee has been drawing House Rent Allowance despite the fact that the wife/husband of Railway servant, is also a Government employee and has been allotted Government accommodation at the same station, which is irregular.

3. Board have taken a serious view of this irregularity and desire that immediate action should be taken to rectify such irregularities and also to take necessary steps to prevent recurrence of such irregularities. Any violation of the extant codal provisions will be viewed seriously and will be considered as a gross misconduct unbecoming of a Railway servant. CPO's should take revised declaration from employees. Efforts may also be made to make necessary recoveries of the house rent irregularly drawn by the concerned employees.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Nadira Razak

(Nadira Razak)
Jt. Director, Estt.(P&A),
Railway Board.

.....2/-

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आर डी ई स. 30/2002

सं.ई(पी एंड ए)II/2001/एच.आर.ए.-6 नई दिल्ली, दिनांक 04-03-2002.

महाप्रबंधक/विशेष कार्य अधिकारी/ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि,
(डाक सूची सं. I और II के अनुसार).

विषय:- पति और पत्नी दोनों के रेल/सरकारी कर्मचारी होने तथा आवंटित रेलवे/सरकारी आवास में रहने के मामले में उनके द्वारा मकान किराया भत्ता प्राप्त करना.

****

भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द II/1987 संस्करण के नियम 1706 क(i) के अनुसार किसी रेल कर्मचारी को मकान किराया भत्ता नहीं प्रदान किया जाएगा यदि-

(क) वह अपनी वास-सुविधा के लिए किराए पर कोई व्यय नहीं करता है ;

(ख) वह सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वास-सुविधा का अधिभोग करता है ;

(ग) वह किसी अन्य सरकारी सेवा को आवंटित किराया मुक्त सरकारी वास-सुविधा का उसके साथ हिस्सा बटाता है ;

(घ) वह अपने माता-पिता/पुत्र/पुत्री को केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार,स्वशासी लोक उपक्रम या अर्ध सरकारी संगठन जैसे कि नगरपालिका, पत्तन न्यास, राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम आदि द्वारा आवंटित वास सुविधा में निवास करता है और

(ङ) उसकी पत्नी/उसके पति को केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार, स्वशासी लोक उपक्रम या अर्धसरकारी संगठन जैसे कि नगरपालिका, पत्तन न्यास आदि द्वारा उसी स्थान पर वास-सुविधा आवंटित की गई है, चाहे वह उस वास सुविधा में निवास करता हो या अपने द्वारा किराए पर ली गई वास-सुविधा में निवास करता हो।

2. बोर्ड के नोटिस में यह लाया गया है कि क्षेत्रीय रेलों आदि पर कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनमें रेल कर्मचारी की पत्नी या पति इस तथ्य के बावजूद मकान किराया भत्ता प्राप्त कर रहे हैं जबकि रेल कर्मचारी की पत्नी/पति भी सरकारी कर्मचारी हैं और उसे उसी स्टेशन पर सरकारी आवास आवंटित किया गया है, जोकि अनियमित है।

3. बोर्ड ने इस अनियमितता को गंभीरता से लिया है और वह चाहता है कि इस प्रकार की अनियमितताओं को सुधारने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू की जाए और ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम करने के लिए आवश्यक उपाय भी किए जाएं। संहिता के मौजूदा

...2/-

प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और इसे पूर्ण कदाचार समझा जाएगा, जो कि एक रेल कर्मचारी के लिए अशोभनीय है। मुख्य कार्मिक अधिकारी, कर्मचारियों से संशोधित घोषणाएं लें। संबंधित कर्मचारियों द्वारा अनियमित रूप से प्राप्त किए गए मकान किराए की आवश्यक वसूली करने के भी प्रयास किए जाएं।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(नादिरा रज़ाक),
संयुक्त निदेशक,स्था.(वे एवं भ.),
रेलवे बोर्ड.

सं.ई(पी एंड ए)II/2001/एच.आर.ए.-6 नई दिल्ली, दिनांक 4-3-2002.

प्रतिलिपि : भारत के अपर उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) को (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) को प्रेषित।

कृते वित्त आयुक्त/रेलवे

सं.ई(पी एंड ए)II/2001/एच.आर.ए.-6 नई दिल्ली, दिनांक 4-3-2002.

प्रतिलिपि : वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां आदि को प्रेषित।

(नादिरा रज़ाक)
संयुक्त निदेशक,स्थापना (वे.एवं भ),
रेलवे बोर्ड .

सं.ई(पी एंड ए)II/2001/एच.आर.ए.-6 नई दिल्ली, दिनांक 4-3-2002.

प्रतिलिपि : फेडरेशनों/संघों आदि को प्रेषित।

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड.